

डीएफसीसीआईएल/नोएडा यूनिट/आरटीआई/16/3 | 10932

दिनांक:- 10.01.2025

सीपीआईओ,
मुख्य कार्यालय/डीएफसीसीआईएल
न्यू दिल्ली-1


विषय: सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के तहत सूचना देने के संबंध में.
संदर्भ: सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के तहत प्राप्त आरटीआई संख्या-1181.

विषय वस्तु के संदर्भ में, ईमेल दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से नोएडा इकाई में आर. टी. आई. सं. 1181 का बिंदुवार जवाब प्राप्त हुआ। जो कि निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	मांगी गयी सूचना	जवाब
1	<p>न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से दादरी (यू.पी.) सेक्शन में Dedicated Freight Corridor के तहत रेलवे लाइन, पुल, अंडरपास, ओवरब्रिज इत्यादि संबंधित एवं अन्य निर्माण कार्य एल&टी कंपनी को प्रदान किया गया था कार्य की जानकारी देने के संबंध में।</p> <p>1. उपरोक्त कार्य की जो लेबर (श्रमिकों) की पेमेंट कंपनी/ ठेकेदार को की गयी है उनकी सूचना बिल कॉपी सहित दी जाये।</p>	<p>श्री संजय शर्मा, रेवाड़ी का आवेदन सीटीपी-14 ठेकेदार को श्रम भुगतान से संबंधित है। सीटीपी-14 अनुबंध एक डिजाइन ओर निर्माण एकमुश्त अनुबंध है जहां ठेकेदार को भुगतान विभिन्न गतिविधियों जैसे मिट्टी के काम, पुल के काम, सुरंग, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग कार्यों के लिए मील के पत्थर के पूरा होने पर आधारित होता है और ठेकेदार को कोई श्रम भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए श्रम भुगतान के संबंध में आवेदक द्वारा मांगी गयी वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</p>

नोट-आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के तहत आने वाले उपरोक्त अनुबंध के बारे में कोई भी अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस पर सी. जी. एम. नोएडा कार्यालय में 09:30 से 17:30 के बीच आकर प्राप्त की जा सकती है।

यह महाप्रबंधक/समन्वय के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।


धिरज कुमार ठाकुर

सहायक परियोजना प्रबन्धक/वित्त/नोएडा
एपीआईओ/नोएडा